महत्वपूर्ण

संख्या–197/60–3–2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त
देवीपाटन मण्डल,
देवीपाटन।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

विषयः– उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से संबंधित मेडिकों लीगल प्रोटोकाल पर चिकित्साधिकारियों के मण्डलवार प्रशिक्षण के संदर्भ में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्ष 2015–16 की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत की गयी है। कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मेडिकों–लीगल परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक प्रक्रियाओं एवं परीक्षण से संबंधित जानकारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर एकत्र करने के लिये दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 द्वारा मेडिकोलीगल परीक्षण के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका में भी नये प्रपत्रों पर मेडिकोलीगल परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में वचन बद्धता दी गयी है। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय ने भी नवीन प्रपत्रों पर ही मेडिकोलीगल परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किये हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में अब तक दो चरणों में (माह मई 2015 एवं माह जुलाई 2015) 285 एवं तृतीय चरण में अब तक गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़ एवं आगरा मण्डल के 550 चिकित्साधिकारियों को उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

महिला सम्मान कोष के संचालन की विभिन्न स्तरों पर की गई समीक्षा से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि नवीन मेडिकोलीगल प्रपत्र पर एकत्रित सूचना से उपरोक्त उल्लिखित अपराधों में अपराधी को दण्डित किये जाने हेतु प्रभावी साक्ष्यों की उपलब्धता

ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अपराधी को दण्डित किये जाने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतः चिकित्साधिकारियों के कार्यों की परीक्षण के सन्दर्भ में सुगमता तथा महिला सशक्तिकरण मिशन की भावना के अनुरूप पीड़ित महिलाओं को सहायता एवं अपेक्षित न्याय दिलाने हेतु मण्डलवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस कम में **देवीपाटन मण्डल** के अंतर्गत आने वाले जनपदों के चिकित्साधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम **दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2016 को गोंडा** में प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्त कार्यक्रम में देवीपाटन मण्डल के जनपदों के चिकित्साधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा शीघ्र ही मण्डलीय जनपद (गोंडा) के जिला परिवीक्षाधिकारी द्वारा आपके सम्मुख सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीया,
17/2/16
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /60–3–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी– गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती।
2– निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश।
3– डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।
4– डा0 एच0के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश।
5– डा0 वी0डी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
6– जिला परिवीक्षा अधिकारी गोंडा को इस निर्देश के साथ कि वे अपर मण्डलीय अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गोंडा से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयाजित करें।
7– जिला परिवीक्षा अधिकारी– गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने जनपद के चिकित्साधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय द्वारा नामित कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये स्वयं भी प्रतिभाग करें।
8– कोष कार्यलय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
संयुक्त सचिव।